देश में अतिरिक्त सड़कों की आवश्यकता

3532. **श्री वीरेन जे॰ शाह:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सड़क मार्ग से यात्रा करने और माल ढोने की बढ़ती हुई आवश्यकता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान शताब्दी के अंत तक कितने अतिरिक्त सड़क मार्गों की आवश्यकता होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त सड़क-मार्गों के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (घ) केन्द्र सरकार मुख्यतः केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के लिए ही जिम्मेदार है। अन्य सभी सड़कों की जिम्मेदारी अनिवार्यतः संबंधित राज्य सरकारों की है। जहां तक नए राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, संसाधनों की कमी के कारण इस समय और कोई नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना कठिन है। यदि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए वित्तीय आबंटन में वृद्धि की जाती है तो आठवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा के समय स्थिति की पुनः जांच की जाएगी। अतः आठवीं योजना के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए लक्ष्यों को अभी से बता पाना संभव नहीं है।

सड़क-मार्गों पर किया जाने वाला व्यय

3533. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में सड़क मार्गों की दयनीय स्थिति के कारण जहां एक ओर माल ढोने की क्षमता में कमी आ रही है वहीं ईंधन का व्यय भी बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा सड़क-मार्गों के निमित्त पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया व्यय कुल बजट का 5.7% था और सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह क्रमशः घटकर मात्र 2.9% ही रह गया है;

(घ) आठवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितने प्रतिशत धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क-मार्गों में सुधार के लिए निर्धारित की गई धनराशि अपर्याप्त है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए समुचित धनराशि प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) जी हां। केन्द्र सरकार मुख्यतया राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के लिए ही जिम्मेदार है। देश में शेष सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें अनिवार्यतः जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार कार्य एक सतत प्रक्रिया है और निधियों की उपलब्धता तथा विभिन्न परियोजनाओं की पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखकर चरणबद्ध रूप में ये कार्य किए जा रहे हैं।

(ग) जी हां। पहली पंचवर्षीय योजना में इन पर किया गया व्यय, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निवेशों का 6.9% था और यह सातवीं पंचवर्षीय योजना में घटकर 2.9% रह गया।

(घ) 3.04 प्रतिशत।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयोजन से सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रख-रखाव और शुल्क पर आधारित सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता पर विचार कर रही है। तथापि निजी क्षेत्र की सहभागिता संबंधी ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है।